रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2068] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2011/कार्तिक 10, 1933
No. 2068] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2011/KARTIKA 10, 1933

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2011

का.आ. 2476(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 मई, 2011 के भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संख्या का.आ. 1027(अ), की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

कथित अधिसूचना में :—

(i) क्रम संख्या 2 के बाद "धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iv) के तहत नियुक्त सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

"3. श्री लियाकत अली खान, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त),
अध्यक्ष, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ,
एल. के. 1, लाल कोठी योजना, ज्योति नगर,
जयपुर, राजस्थान";

(ii) क्रम संख्या 1 के बाद "धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (v) के तहत नियुक्त सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

"2. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिलाल नाजकी,
उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश,
बी-98, प्रथम तल, सेक्टर-23, नोएडा, उत्तर प्रदेश";

2. उपर्युक्त सदस्यगण पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 11 मई, 2016 तक अपने पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. 8/1/2010-वक्फ (खंड-I)]

ई. आर. सोलोमन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1027(अ), दिनांक 12 मई, 2011 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2011

S.O. 2476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 9 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Minority Affairs number S.O. 1027(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 12th May, 2011, namely :—

In the said notification,—

(i) under the heading "Members appointed under sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9", after serial number 2, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"3. Shri Liyakat Ali Khan, IPS (Retd.),
Chairperson, Rajasthan Board of Muslim Wakf,
L. K. 1, Lal Kothi Yojna, Jyoti Nagar,
Jaipur, Rajasthan";

(ii) under the heading "Members appointed under sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9", after serial number 1, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"2. Justice (Retd.) Bilal Nazki,
Retired Chief Justice of Orissa High Court,
B-98, 1st Floor, Sector-23, Noida, Uttar Pradesh";

2. The above members will hold office from the date of assumption of office till 11th May, 2016.

[F. No. 8/1/2010-Wakf (Vol. I)]

E. R. SOLOMON, Jt. Secy.

Note :—The principal notification number S.O. 1027(E), dated the 12th May, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii).

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

8/11/2010-Wakf